



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052023-246146  
CG-DL-E-29052023-246146

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2248]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2023/ज्येष्ठ 8, 1945

No. 2248]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2023/JYAISHTHA 8, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 2023

का.आ. 2345(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) पांचवा संशोधन आदेश, 2023 है।  
(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में,  
(i) खंड 2 के, उपखंड (थ) में, पैरा (i) में, शब्दों " उपवर्णित है; और" के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"उपवर्णित है और इसमें ऐसे सभी उर्वरक सम्मिलित हैं जिनके मानकों को ऐसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है और नीचे दिए गए सूक्ष्म पोषक तत्वों से फोर्टिफाइड किया गया है।"

सूक्ष्म पोषक तत्व	संकेन्द्रण( %)
ज़िंक	0.4-1.0
बोरान	0.1-0.3
मोलिब्डेनम	0.01-0.05
कॉपर	0.2-0.5

**स्पष्टीकरण:-** उर्वरक का विनिर्देश जो उपरोक्त उल्लिखित सूक्ष्म पोषक तत्वों से फोर्टिफाइड होगा, वही रहेगा जो अनुसूची-I में विहित है।

(ii) खंड 20 में, "आयातित उर्वरकों की बाबत" शब्दों के पश्चात् "जो तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होगी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) खंड 20 ख के उपखंड (i) में, "कस्टमाइज्ड उर्वरक" शब्दों के पश्चात्, " जो चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य होगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त आदेश में, अनुसूची 1 में, उपशीर्षक "1(ज) फोर्टिफाइड उर्वरक" में क्रम संख्याक 34 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

**"टिप्पण:**

इसमें अनुसूची I में विहित मानक के ऐसे सभी उर्वरक सम्मिलित हैं और जिनको खंड 2 के उपखंड (थ), पैरा (i) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दो सूक्ष्म पोषक तत्वों से फोर्टिफाइड किया गया है।"

4. उक्त आदेश की अनुसूची IV में, क्रम संख्याक 9 में, "किण्वित जैविक खाद" से संबंधित, प्रविष्टि (i) में "30-40" अंकों के स्थान पर "30-70" अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 2-1/2023 उर्वरक विधि]

योगिता राना, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल आदेश अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 758(अ) तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 2216(अ) तारीख 17 मई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

### ORDER

New Delhi, the 29th May, 2023

**S.O. 2345(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Fifth) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser ( Inorganic, Organic or Mixed ) (Control) Order, 1985 ( hereinafter referred to as the said Order),—

(i) in clause 2, in sub-clause (q), in para (i), for the words "Schedule; and", the following shall be substituted, namely:-

"Schedule and includes all such fertilizers whose standards are specified in such Schedule and are fortified with such micronutrients as given below.

Micronutrients	Concentration ( %)
Zinc	0.4-1.0
Boron	0.1-0.3
Molybdenum	0.01-0.05
Copper	0.2-0.5

**Explanation:-** The specification of the fertilizer which shall be fortified with above mentioned micronutrient shall remain the same as specified in Schedule –I”.

(ii) in clause 20, after the words “imported fertilizers”, the words “which shall valid for a period not exceeding three years”, shall be inserted;

(iii) in sub-clause (i) of clause 20 B, after the words “Customised fertilizers”, the words “which shall valid for a period not exceeding four years” shall be inserted.

3. In the said Order, in Schedule I, in sub-heading “1(h) FORTIFIED FERTILISERS”, after serial No.34, the following Note shall be inserted namely:-

**“Note :-**

It includes all such fertilizer of standard prescribed in Schedule I and is fortified with maximum two micronutrients of the range specified in para (i) of sub-clause (q) of clause 2 .

4. In the said Order, in Schedule IV, in serial number 9, relating to “Fermented Organic Manure”, in entry (i), for the figures “30-40”, the figures “30-70” shall be substituted.

[F. No.2-1/2023 Fert Law]

YOGITA RANA, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide notification GSR No.758 ( E) dated 25th September,1985 and was last amended vide notification number S.O. 2216 ( E) dated 17<sup>th</sup> May, 2023.